

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद, पटना।

सचिव, केन्द्रीय चयन पर्सद (सिपाही भर्ती), पटना।

सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 13.11.17

विषय:- आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-13876 दिनांक-03.11.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है।

सम्प्रति सभी विभागों में आउट सोर्सिंग के तहत कर्मी कार्यरत हैं, जिनके संदर्भ में आरक्षण विषयक कोई लेखा-जोखा नहीं है, इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के स्तर पर आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण के संबंध में आँकड़े संधारित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि अपने-अपने विभागों/कार्यालयों में कार्यरत यथा भविष्य में आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली आरक्षण कोटिवार कर्मियों के संदर्भ में सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। साथ ही आउट सोर्सिंग के तहत कर्मियों को प्राप्त करते समय इस आशय का प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित किया जाय कि इसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया गया है।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

16.11.17

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

**बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग**

- : संकल्प :-

विषय :- आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू करने के संबंध में।

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991, (बिहार अधिनियम-3/1992) एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियमों द्वारा राज्याधीन सभी प्रकार की सेवाओं में आरक्षण प्रभावी किया गया है।

(2) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991, (बिहार अधिनियम-3/1992) की धारा-3(च) में निहित प्रावधानानुसार 45 से कम दिनों के लिए अस्थायी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं था, जिसे बिहार अधिनियम-11/1993 द्वारा विलोपित कर दिया गया अर्थात् सभी प्रकार की नियुक्तियों में आरक्षण प्रभावी होगा।

(3) सम्प्रति राज्य की विभिन्न सेवाओं में कार्यहित में विभिन्न श्रोतों/एजेंसियों आदि द्वारा आउट सोर्सिंग के तहत विभिन्न प्रकार के पदों पर सेवायें प्रदान/प्राप्त की जा रही हैं, परन्तु इस प्रकार की सेवाएँ प्राप्त करने/प्रदान करने में राज्याधीन प्रचलित आरक्षण का अनुपालन हो पा रहा है अथवा नहीं, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। अतः आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में राज्याधीन प्रचलित आरक्षण का प्रावधान लागू करने संबंधी आदेश निर्गत किया जाना आवश्यक हो गया है।

(4) अतः निर्णय लिया गया है कि आउट सोर्सिंग के तहत सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं/एजेंसियों आदि द्वारा आरक्षण का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस क्रम में सेवा उपलब्ध कराने से पूर्व राज्याधीन प्रचलित आरक्षण के प्रावधानों के आलोक में संबंधित सेवा के अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार कर लिया जाय एवं इसी पैनल से अध्याचना के आधार पर संबंधित विभाग एवं कार्यालय को ऐसे कर्मियों की सेवा उपलब्ध करायी जाय। साथ ही आउट सोर्सिंग के तहत सेवा प्राप्त करने वाले संस्थान/कार्यालय/विभाग आदि का भी दायित्व बनता है कि सेवा प्रदायी एजेंसी से आरक्षण का अनुपालन किये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कर्मियों की सेवाएँ ली जाय।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्सद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेंद्र राम) 3/11/17

सरकार के अपर सचिव।

①

(A)

ज्ञापांक-11/आ0नी0-I-05/2017 सा0प्र0.13876 पटना-15, दिनांक-3-11-17

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारवाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव।

3/11/17

ज्ञापांक-11/आ0नी0-I-05/2017 सा0प्र0.13876 पटना-15, दिनांक-3-11-17

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्वदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के अपर सचिव।

3/11/17